

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०—17/विविध— 01—69/2025

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० शिल्पी कुमारी, सीनियर रेजिडेंट (टेन्थोर), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य विभागीय आदेश सख्या—1133(17), दिनांक—29.11.2022 की कड़िका—07 के शर्ताधीन दिनांक—10.03.2025 से 04.09.2025 तक कुल—179 (एक सौ उनासी) दिनों का द्वितीय सत्र हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(रिणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक :-17/विविध— 01—69/2025— 1119(17)

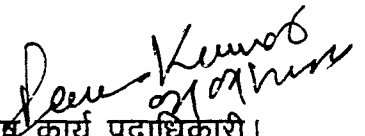
पटना, दिनांक :- 02/09/2026

तैलपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० शिल्पी कुमारी, सीनियर रेजिडेंट (टेन्थोर), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।